भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3459

जिसका उत्तर 16 मार्च, 2020/26 फाल्गुन, 1941 (शक) को दिया गया

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना

3459. श्री रघु राम कृष्ण राजूः

श्री अबु हसीम खान चौधरी:

श्री वाई॰एस॰ अविनाश रेड्डीः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए कार्यान्वित प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जैसी केन्द्र सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए 60 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है किंतु राज्य सरकार के कर्मचारी 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप आयु का यह अंतर होने की वजह से राज्य सरकार के कर्मचारी इन योजनाओं का समुचित लाभ नहीं ले पाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की सभी योजनाओं के लिए आयु में संशोधन कर इसे 58 वर्ष किये जाने की कोई योजना है ताकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनी योजनाओं का लाभ सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी ले पायें;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) वरिष्ठ नागरिक हेतु आयु संबंधी विसंगति को दूर करने हेतु सरकार का रुख क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (ड.): प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के बुजुर्ग व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए बाजार की अनिश्चित स्थिति की वजह से भविष्य में उनकी ब्याज आय में गिरावट आने से बचाने के लिए तैयार की गई है। चूंकि पीएमवीवीवाई बुजुर्ग व्यक्तियों को ब्याज दर में भावी गिरावट के कारण उत्पन्न वित्तीय हानि से बचाने के लिए है, जिसमें बुजुर्ग व्यक्तियों को 60 वर्ष और उससे अधिक आयु का परिभाषित किया गया है, उसका सेवानिवृत्ति की आयु से कोई संबंध नहीं है।

*****